(अरविंद सिंह सांगवान जे, के समक्ष)

अरविंद सिंह सांगवान, जे

मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

सुनील शर्मा-प्रतिवादी

2013 का सीआरएम-एम **No.1490** और संबंधित मामले

31 मई, 2018

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**-भारतीय दंड संहिता, **1860**-महिला का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, **1986**-धारा **6**-अश्लीलता को रद्द करने का आरोप लगाने वाली शिकायत-शिकायतकर्ता कथित आरोपी वीडियो गेम सामग्री के निर्माता हैं जो अत्यधिक नग्नता, यौन विषयों को दर्शाते हैं और अभद्र तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं-शिकायतकर्ता को केवल गेमिंग वीडियो सीडी की प्रतिकृति देखी गई है-शिकायतकर्ता ने किसी भी आरोपी द्वारा निर्मित या विपणन की गई मूल वीडियो सीडी नहीं देखी है-शिकायतकर्ता आरोपी द्वारा किए गए अपराध को साबित करने में विफल रहा-मूल सीडी की अनुपस्थिति में में निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को विकृत रूप से बुलाने के निष्कर्ष-शिकायत रद्द कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं को समन करने के लिए पारित किए गए विवादित आदेश के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि निचली अदालत ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि सी8 की वीडियो सीडी मूल की प्रतिकृति हैं और निचली अदालत के समक्ष मूल सीडी की अनुपस्थिति में में, इस तरह के निष्कर्ष को बरकरार रखना मुश्किल है कि निचली अदालत के समक्ष पेश की गई सीडी मूल सीडी की सही प्रतिकृति हैं।

(पैरा 18) याचिकाकर्ता की ओर से हरपतिक एस. संधू, अधिवक्ता और अंगद कोचर, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान (2013 के सी. आर. एम.-एम. Nos.22387 और 22418 में)।

मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सुनील शर्मा

पुनिता सेठी, विजय पाल डालमिया, अधिवक्ता और चंदर एम. मैनी, अधिवक्ता के साथ, याचिकाकर्ता की ओर से (2014 के सीआरएम-एम Nos.23956 और 24056 में)।

एस. एन. शर्मा, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता (कानूनी सहायता वकील) (सभी याचिकाओं में)।

अरविंद सिंह सांगवान, जे।

(1) इस सामान्य आदेश के माध्यम से, मैं 05 याचिकाओं यानी 2013 की सी. आर. एम.-एम. Nos.1490,22387 और 22418 और 24056 और 57 का निपटारा करने का इरादा रखता हूं।

23956/ 2014 के अनुसार, न्यायनिर्णयन के लिए कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत में पेश होना बंद कर दिया था और 10.10.2017 के आदेश के अनुसार, अदालत की सहायता के लिए एक कानूनी सहायता वकील नियुक्त किया गया था।

(3) उपरोक्त सभी 5 याचिका कर्ताओं में प्राथना आपराधिक शिकायत संख्या नंबर दिनक 04.06.2012 को सुनील शर्मा बनाम सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (अनुलग्नक पी 1) और उसके बाद की कार्यवाही के साथ साथ रद करने के लिए है. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश दिनाक 19.07.2012 जिसके तहत याचिका करताओ को भारतीय दंड संहिता धरा 292 और 293 और महिलाओ के अश्लील प्रतिनिधित्व की धारा 6 के तहत तलब किया गया है अधीनियम 1986, क्योंकि शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करती है और कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग होगी और इसके परिणाम स्वरुप न्याय की विफलता होगी.

(4) शिकायत (अनुलग्नक पी1) के पैरा संख्या 1 से 11 में देखे गए मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देने के लिए शिकायत की सामग्री पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि उसी के एक

अवलोकन से किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता हैः-

“1. कि आरोपी नंबर 1 सोनी इंडिया कंपनी है और आरोपी नंबर 2 आरोपी नंबर 1 की उत्तरी शाखा है, जो प्लेस्टेशन के रूप में जाने जाने वाले गेमिंग कंसोल को बेचने और "गॉड ऑफ वॉर" (खेलों की एक श्रृंखला) और "हैवी रेन" जैसे कुछ खेलों को विकसित करने/उत्पादन/बिक्री करने में लिप्त है, क्योंकि दोनों एक ही काम करने में लिप्त हैं, उसी तरह से कार्य करें, इसलिए दोनों को इस शिकायत में पक्षकार बनाया गया है।कि अभियुक्त सांख्या 3 और 5 वे कंपनियाँ हैं, जो भारत में खेलों के विकास, परीक्षण और वितरण/बिक्री में लिप्त हैं, और अभियुक्त संख्या 4 और 6 दोनों कंपनियों के संबंधित अधिकारी हैं, जिनका यहाँ क्रमशः अभियुक्त संख्या 3 और 5 के रूप में उल्लेख किया गया है।

2. उस आरोपी नंबर 1 और 2, एक ही कंपनी होने के नाते, यानी सोनी इंडिया, "गॉड ऑफ वॉर" (खेलों की एक श्रृंखला) और "हैवी रेन" के रूप में जाने जाने वाले अपने खेलों के लिए प्रसिद्ध है, आरोपी नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (ईए गेम्स) है, जो "डांटे की इन्फर्नो" नामक खेल का निर्माता/विक्रेता है, और आरोपी नंबर 5 यूबीसॉफ्ट है, जो "बेवुल्फ" नामक खेल का निर्माता/विक्रेता है। वे अभियुक्त संख्या 4 और 6 अभियुक्त संख्या 4 और 6 के रूप में यहां उल्लिखित कंपनियों के संबंधित अधिकारी हैं, जो क्रमशः अभियुक्त संख्या 3 और 5 के रूप में उल्लिखित हैं, जो अपनी संबंधित कंपनी द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि Cr.P.C और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की खंड 7 के तहत निर्धारित किया गया है, क्योंकि वे भारत में कंपनी के कार्यालयों में संबंधित अधिकारी पाए गए थे, जब शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी को टेलीफोन कॉल, ई-मेल और कानूनी नोटिस द्वारा से सूचित किया गया था।

3. कि पैरा संख्या 2 में उल्लिखित खेलों के सभी नाम, अर्थात "गॉड ऑफ वॉर" (सभी श्रृंखलाएं), "हैवी रेन", दांते की इन्फर्नो, बेवुल्फ में अत्यधिक नग्नता, यौन विषयों के दृश्य/सामग्री शामिल हैं और बड़े पैमाने पर भारत में लोगों के सामने महिलाओं का अश्लील तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें ज्यादातर किशोर आयु के व्यक्ति शामिल हैं, क्योंकि गेमिंग ज्यादातर किशोरों का शौक है।

4. वे खेल ज्यादातर किशोरों द्वारा खेले जाते हैं, और अत्यधिक नग्नता, यौन विषयों और महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व के दृश्यों/सामग्री वाले खेल भारत में युवाओं को बेचे जा रहे हैं, भारत सरकार से कोई पूर्व प्रमाणन या अधिकार नहीं है।

5. विदेशों में, ई. एस. आर. बी. के रूप में जाना जाने वाला एक बोर्ड है, जो खेलों कीसामग्री के अनुसार खेलों को मूल्यांकन देता है और कंपनियों को खेलों पर उल्लेख करने और कुछ आयु समूहों के कुछ व्यक्तियों तक उनकी बिक्री को सीमित करने का निर्देश देता है।भारत में, पूरे भारत में प्रदर्शित फिल्मों में नग्नता, लिंग और महिलाओं के इस तरह के अभद्र प्रतिनिधित्व को नियंत्रित करने के लिए सेंसर बोर्ड है।यहां तक कि इस बोर्ड को भारतीय कानून द्वारा ए (वयस्क) प्रमाणित फिल्म में भी लड़कियों के पूरी तरह से/आधे नग्न शरीर को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।भारत को विदेशों द्वारा सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों में पिछड़ा माना जा रहा है, वे बच्चों, किशोरों और वयस्कों के खेल बेचने के नाम पर हमारे देश में आए और भारत में कोई नियंत्रण प्राधिकरण नहीं होने के कारण इस खेल खंड के संबंध में, वे कई वर्षों से भारत में ऐसी अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और देश के कानून की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं।

6. कि शिकायत के मुख्य लेख में उल्लिखित कानूनी प्रावधान भारत में महिलाओं के इस तरह के अभद्र प्रतिनिधित्व के निषेध में बहुत स्पष्ट हैं।और भारत में देश के कानून की अनदेखी करके, ये कंपनियाँ और उनके कर्मचारी, पूरे भारत में अपनी गतिविधियों को बहुत खुले दिल और दिमाग से चला रहे थे।

7. उस आरोपी नंबर 1 से 4 तक से शिकायतकर्ता द्वारा कानूनी नोटिस, टेलीफोनिक कॉल और ई-मेल द्वारा से संपर्क किया गया था, और शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी नंबर 5 और 6 से टेलीफोनिक कॉल और ई-मेल द्वारा से संपर्क किया गया था, ताकि उन्हें भारत में इस तरह के कृत्य करने के अपने अधिकार के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जा सके, लेकिन सकारात्मक तरीके से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, शिकायतकर्ता को यह शिकायत सद्भावना से दर्ज करनी पड़ी, यह मानते हुए कि उनके पास भारत में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि कोई था, तो यह दिखाने के लिए समय की आवश्यकता नहीं थी।और यह भी मानते हुए कि भारत में नग्नता और अश्लीलता को इस तरह से खुले बाजार में और बच्चों और किशोरों सहित सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को वितरित/बेचने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

8. कि शिकायतकर्ता यह शिकायत अभियुक्त सं. 1 से 4 तक के कानूनी नोटिस में जवाब देने के लिए दी गई समय अवधि की समाप्ति से पहले दर्ज कर रहा है, क्योंकि अभियुक्त सं.2 अस्वीकार किए गए कानूनी नोटिस को वापस कर दिया है और बाकी तीनों को अन्य माध्यमों से भी सूचित किया गया था, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल सका।और

आरोपी नंबर 5 और 6 को टेलीफोन कॉल और ई-मेल द्वारा से सूचित किया गया था।और यहां तक कि वे शिकायतकर्ता को कोई जवाब देने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने मामले को पेरिस, फ्रांस में अपने कानूनी सलाहकार के पास भेज दिया।

9. कि कानून के स्पष्ट प्रावधान हैं, जो किसी भी रूप में यौन, नग्नता, अश्लीलता और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व वाली वस्तुओं के प्रकाशन/वितरण/बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं, और सभी आरोपी कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।इसलिए शिकायत के मुख्य लेख में उल्लिखित कानून के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

10. यह कि ये खेल दुनिया भर में बेचे भारत के क्षेत्र सहित जा रहे हैं,, इसलिए भारत के प्रत्येक न्यायालय को इस शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र मिला है।

11. यह कि अभियुक्त कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा की गई गलती एक सार्वजनिक गलती है और इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को इस गलती के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिस्थिति है, क्योंकि कोई भी कानून को गति दे सकता है, और इसलिए शिकायतकर्ता को इस शिकायत में अधिस्थिति प्राप्त है।"

(5) इसके बाद, प्रारंभिक साक्ष्य में, शिकायतकर्ता स्वयं एक गवाह के रूप में पेश हुआ और निम्नलिखित बयान दियाः-

" शिकायतकर्ता सुनील शर्मा का बयान।

यह कहा गया है कि मैंने उपरोक्त वीडियो गेम को अपनी आंखों से देखा है और मैंने उसमें दिखाई गई अश्लीलता को देखा है, मैं दो सीडी में रिकॉर्ड की गई 8 वीडियो फाइलों का उत्पादन करता हूं, जो प्रदर्शनी सी1 से सी8 हैं।CD1 में दर्ज Ex.C1 में खेल का नाम गॉड ऑफ वॉर है, Ex.C2 में खेल का नाम वॉर 2 है, Ex.CD में खेल का नाम गोल्ड वॉर है, Ex.C3 में खेल का नाम और Ex.C4 ओलंपस के गॉड ऑफ वॉर चेंज है, Ex.C5 में खेल का नाम और Ex.C6 हैवी रेन है, जो सोनी कंपनी के आरोपी नंबर 1 और 2 से संबंधित है।Ex.C7 में खेल का नाम दांते का इन्फर्नो है जो आरोपी नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स से संबंधित है और Ex.C8 में खेल का नाम बेवुल्फ है जो आरोपी नंबर 5 का है। जब मैंने आरोपी नंबर 4 और 6 सुचित्रा सिंह और किशोर दुधल से संपर्क किया, जो आरोपी नंबर 3 और 5 के कर्मचारी हैं, जिन्हें भारत में कंपनी के लिए जिम्मेदार बताया गया

था।

आरओ एंड एसी एसडी/- जेएमआईसी, 11.6.12।एस. डी./एक्स. एक्स. अधिवक्ता "

(6) इसके बाद, निचली अदालत ने दिनांक 19.07.2012 के विवादित आदेश के माध्यम से 1986 के अधिनियम की धारा 4 और 6 के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की धारा 292,293 के तहत सभी उपरोक्त याचिकाकर्ताओं को तलब किया।तैयार संदर्भ के लिए, भा.दं.सं. सी. की धारा 292 और 293 के साथ-साथ 1986 के अधिनियम की धारा 4 और 6 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"292. अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री।—

[(1) इसके लिए उप-धारा (2) के प्रयोजनों, एक पुस्तक, पर्चा, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति या किसी अन्य वस्तु को अश्लील माना जाएगा यदि यह कामुक है या प्रचलित हित को आकर्षित करता है या यदि इसका प्रभाव है, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक विशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं)

इसके किसी भी मद का प्रभाव, यदि समग्र रूप से लिया जाए, जैसे कि भ्रष्ट और भ्रष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं। जो भी हो -

(क) बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरह से प्रचलन में रखता है, या बिक्री, किराया, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी या प्रसार के उद्देश्यों के लिए, किसी भी अश्लील पुस्तक, पर्चे, कागज, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति या किसी अन्य अश्लील वस्तु को अपने कब्जे में रखता है या रखता है, या

(बी) उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या संप्रेषण करता है, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर ली जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी तरह से प्रचलन में रखी जाएगी, या

(ग) किसी ऐसे व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके बारे में वह

जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई अश्लील वस्तुएं उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए हैं, बनाई गई हैं, उत्पादित की गई हैं, खरीदी गई हैं, रखी गई हैं, आयात की गई हैं, निर्यात की गई हैं, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई हैं या

किसी भी तरह से प्रचलन में रखी गई हैं, या

(घ) किसी भी माध्यम से विज्ञापन देता है या यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में संलग्न है या शामिल होने के लिए तैयार है जो इस खंड के तहत एक अपराध है, या कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु किसी भी व्यक्ति से या उसद्वारा से प्राप्त की जा सकती है, या

(ङ) इस खंड के तहत अपराध होने वाला कोई भी कार्य करने का प्रस्ताव या प्रयास करने पर दंडित किया जाएगा [पहले दोषी पाए जाने पर दोनों में से किसी एक के कारावास से, जो दो साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, और दूसरे या बाद के दोषी ठहराए जाने की स्थिति में, किसी भी विवरण के कारावास से जो पांच साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है]। [(अपवाद)- यह खंड यहाँ तक विस्तारित नहीं है -

(क) कोई भी पुस्तक, पर्चा, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति-

((i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर सार्वजनिक भलाई के लिए होना उचित साबित होता है कि ऐसी पुस्तक, पर्चा, कागज, लेखन, चित्रकारी, चित्रकला, प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा या सामान्य चिंता के अन्य उद्देश्यों के हित में है, या

((ii) जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक रूप से रखा जाता है या उपयोग किया जाता है;

(ख) कोई मूर्तिकला, उत्कीर्णन, चित्रित या अन्यथा दर्शाया गया प्रतिनिधित्व -

(i) प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ के भीतर कोई भी प्राचीन स्मारक, या

((ii) कोई मंदिर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी गाड़ी पर, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी गई या उपयोग की गई।]

293. युवाओं को अश्लील वस्तुओं की बिक्री आदि।

— जो कोई भी बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को ऐसी अश्लील वस्तु बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, प्रदर्शित करता है या प्रसारित करता है जैसा कि अंतिम पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित है, या ऐसा करने का प्रस्ताव या प्रयास करता है, उसे

दंडित किया जाएगा [पहले दोषसिद्धि पर किसी भी विवरण के कारावास से जो तीन वर्ष तक बढ़ सकता है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, और दूसरे या बाद के दोषसिद्धि की स्थिति में, किसी भी विवरण के कारावास से जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है]।

4. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व वाली पुस्तकों, पर्चे आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर निषेध।— कोई भी व्यक्ति उत्पादन नहीं करेगा या नहीं.

किसी भी पुस्तक, पर्चे, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति का उत्पादन, बिक्री, किराए पर लेने, वितरित करने, प्रसारित करने या डाक द्वारा भेजने का कारण बनता है जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व होता हैःबशर्ते कि इस खंड में कुछ भी लागू नहीं होगा -

(क) कोई पुस्तक, पर्चा, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति-(i) जिसका प्रकाशन के रूप में उचित साबित होता है।

सार्वजनिक भलाई के लिए इस आधार पर कि ऐसी पुस्तक, पर्चा, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा या सामान्य चिंता की अन्य वस्तुओं के हित में है; या

((ii) जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक रूप से रखा या उपयोग किया जाता है;

(ख) कोई मूर्तिकला, उत्कीर्णन, चित्रित या अन्यथा दर्शाया गया प्रतिनिधित्व -

(i) प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ के भीतर कोई भी प्राचीन स्मारक; या

((ख) कोई मंदिर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी गाड़ी पर, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी गई या उपयोग की गई;

(ग) कोई भी फिल्म जिसके संबंध में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के भाग II के प्रावधान लागू होंगे।

6. दंड।— कोई भी व्यक्ति जो खंड 3 या खंड 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह पहले दोषसिद्धि पर किसी भी विवरण के कारावास से, जो दो वर्ष तक बढ़ सकता है, और

जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक बढ़ सकता है, और दूसरे या बाद के दोषसिद्धि की स्थिति में छह महीने से कम नहीं, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकता है, के कारावास से और दस हजार रुपये से कम नहीं, लेकिन एक लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

(7) वर्तमान याचिकाएँ अभियुक्त व्यक्तियों के विभिन्न समूहों द्वारा दायर की गई हैं जिन्हें सुविधा के लिए विवादित शिकायत के पक्ष के ज्ञापन के संदर्भ में भेजा जाता है। 2013 का सी. आर. एम.-एम. No.1490 मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है-आरोपी नंबर 1,2013 का सी. आर. एम.-एम. 22387/2013 यूबीसॉफ्ट एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है-आरोपी नंबर 5,2013 का सी. आर. एम.-एम. 22418/2013 किशोर दुधल द्वारा दायर किया गया है-आरोपी नंबर 6, का सी. आर. एम.-एम. 23956/2014 इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स गेम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है-आरोपी नंबर 3 और का सी. आर. एम.-एम.24056/2014 सुश्री सुचरिता सिंह द्वारा दायर किया गया है.

(8) उपरोक्त सभी याचिकाएं 2013 से लंबित हैं और इस अदालत ने मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सुनील शर्मा के आदेश के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

(9) प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता की ओर से जवाब पहले ही दायर किया जा चुका है और जवाब में कहा गया है कि चूंकि वीडियो सीडी याचिकाकर्ताओं/आरोपी व्यक्तियों द्वारा बेची और विपणन की जाती हैं और इसमें यौन विषयों के साथ अत्यधिक नग्नता दिखाने वाली अश्लील सामग्री होती है, इसलिए, यह महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व है और ये सीडी भारत सरकार से किसी भी पूर्व प्रमाणन या अधिकार के बिना भारत में युवाओं को बेची जाती हैं और इसलिए, निचली अदालत ने 1986 के अधिनियम की खंड 6 के साथ पठित भा.दं.सं. की खंड 292 और 293 के तहत याचिकाकर्ताओं को सही तरीके से तलब किया है।

(10) मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह शिकायतकर्ता का अपना मामला है कि उसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष गेमिंग सीडी की प्रतिकृति पेश की है और इसलिए, मूल सीडी को कभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत में, यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किस स्रोत या जानकारी से, शिकायतकर्ता को पता चला है कि गेमिंग सीडी का विपणन या बिक्री याचिकाकर्ता-मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी और शिकायत इस संबंध में चुप है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे शिकायत के बयान का उल्लेख करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि वीडियो गेम में अश्लीलता दिखाई गई है क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद भी यही देखा है, इसलिए, यह शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत राय है कि सीडी में आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 08 सीडी जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष Exs.C1 से C8 के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, वे मूल सीडी नहीं हैं और केवल वीडियो गेम की प्रतिकृति/पायरेटेड संस्करण हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और जिन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस या डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत दर्ज करने से पहले किसी भी अधिकृत वितरक या खुदरा विक्रेता से उक्त वीडियो सीडी खरीदने वाले याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी रसीद की अनुपस्थिति में में, यह नहीं कहा जा सकता है कि ये सीडी भारतीय बाजार में मैसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेची जाती हैं।

(11) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-यूबीसॉफ्ट एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क दिया है कि विवादित शिकायत के साथ-साथ शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया बयान भी मौन है जहां से उसने सीडी की प्रतिकृति प्राप्त की है और यह तथ्य शिकायत और शिकायतकर्ता के बयान में गायब है। यह शिकायतकर्ता का अपना मामला है कि ये सीडी सीडी का प्रतिलिपि संस्करण हैं और इसलिए, ये इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और विभिन्न देशों में बेचे जाते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी देशों के पास हैं।

वीडियो सीडी की सामग्री को अश्लील घोषित करने के संबंध में विभिन्न मानदंड/कानून और कई देशों में, नग्नता या यौन विषयों आदि की प्रदर्शनी को उस देश के कानून द्वारा अभद्र घोषित नहीं किया जा सकता है, जबकि यह दूसरे देश में अलग कानून हो सकता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जब भी वैध गेमिंग सीडी बाजार में बेची जाती हैं, तो ये भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार विधिवत प्रमाणित होती हैं और यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट से गेमिंग सीडी डाउनलोड करता है या सीडी का अनधिकृत/पायरेटेड संस्करण खरीदता है,

जिसके पास भारत सरकार से कोई प्रमाणन नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं/आरोपी व्यक्तियों द्वारा इसका उत्पादन, विपणन या बिक्री की जाती है।

(12) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि मूल वीडियो सीडी के उत्पादन की अनुपस्थिति में में और शिकायतकर्ता द्वारा निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में में कि ये प्रतिबंधित हैं, याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अपराध नहीं किया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता ने भारत में उपरोक्त सीडी की खरीद को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पर कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किया गया सबूत स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता वीडियो सीडी के मूल मालिक और डेवलपर का स्रोत देने में विफल रहा है, जिसकी प्रतिकृति निचली अदालत के समक्ष पेश की गई है और सभी वीडियो सीडी में महिलाओं और अन्य पात्रों का एनिमेटेड संस्करण है, इसलिए, इसे महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता है।आगे यह तर्क दिया जाता है कि सभी आरोपी व्यक्ति निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं और इसलिए, खंड 202 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना, निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से तलब किया है क्योंकि शिकायत पटियाला में दायर की गई है, जहां शिकायतकर्ता रह रहा है, जबकि आरोपी व्यक्ति नई दिल्ली, हैदराबाद और पुणे से हैं।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तर्क दिया है कि निचली अदालत ने केवल शिकायतकर्ता द्वारा बनाई गई व्यक्तिगत राय के आधार पर समन आदेश पारित किया है कि वीडियो सीडी में अश्लील चरित्र हैं और यह महिलाओं का अश्लील तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि शिकायत में आरोप के अनुसार, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के साथ टेलीफोन और ई-मेल पर संवाद किया है, हालांकि, उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और इसलिए, उसने वर्तमान शिकायत दर्ज की है जो दर्शाती है कि शिकायत कुछ बाहरी विचार के लिए दायर की गई है।आगे यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि यह शिकायतकर्ता का अपना मामला है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष Exs.C1 से C8 के रूप में प्रस्तुत की गई सीडी मूल सीडी की प्रतिकृति हैं, ट्रायल कोर्ट के लिए यह राय बनाने का कोई अवसर नहीं था कि ये सीडी मूल सीडी की प्रतिकृति हैं, किसी भी विशेषज्ञ साक्ष्य या मूल सीडी के साथ तुलना की अनुपस्थिति में में। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत द्वारा बनाई गई राय, कि सीडी की सामग्री को अश्लील माना जाता है और

इसलिए, याचिकाकर्ताओं को तलब किया जाना चाहिए, न्यायिक विवेक पर आधारित नहीं है क्योंकि सीडी की सामग्री और उस स्रोत को प्रमाणित करने के लिए किसी विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई है जहां से प्रतिकृति तैयार की गई थी।

(14) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों-किशोर दुधल और सुश्री सुचरिता सिंह ने प्रस्तुत किया है कि एक गेमिंग कंसोल एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह है जिसका उपयोग सीडी

चलाकर वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है और इसलिए, यह आरोप कि याचिकाकर्ता गेमिंग कंसोल बेच रहे हैं, यह भारतीय दंड संहिता या महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का गठन करने के बराबर नहीं है।विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि बाजार में बेची जाने वाली सभी वैध सीडी को सेंसर बोर्ड द्वारा यू, यूए और ए प्रमाणपत्र के रूप में प्रमाणित किया जाता है और इस तरह के किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में में कि इन सीडी के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र है, कोई प्रथमदृष्टया अपराध नहीं बनता है।

(15) जवाब में, शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने का एक वैकल्पिक उपाय है और निचली अदालत ने यह मानते हुए कि प्रथमदृष्टया अपराध किया गया है, याचिकाकर्ताओं को सही तरीके से तलब किया है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत और शिकायतकर्ता के बयान को पढ़ने पर प्रथमदृष्टया 1986 के अधिनियम की खंड 6 के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की खंड 292 और 293 के तहत दंडनीय अपराध बनाया जाता है और याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।जवाब में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है

अवीक सरकार और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 1,

जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान परिस्थितियों में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

6. शिकायतकर्ता ने यह भी आग्रह किया कि आरोपी व्यक्तियों पर न केवल खंड 292 आई. पी. सी. के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की खंड 4 के तहत भी मुकदमा चलाया जाना

चाहिए।

1 2014(4) एससीसी 257

यह तस्वीर प्रथमदृष्टया यौन शीर्षक देती है और इसका प्रभाव नैतिक गिरावट है और लोगों को यौन अपराध करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।आई. डी. 1 पर अभियुक्त व्यक्तियों ने अदालत के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा

गया था कि खेल जगत के साथ-साथ आनंदबाजार पत्रिका में जर्मनी में प्रकाशित एक पत्रिका 'एस. टी. ई. आर. एन.' में प्रकाशित समाचार और तस्वीर को पुनः प्रस्तुत करने में कोई अवैधता नहीं थी।इसके अलावा, यह बताया गया कि उक्त पत्रिका को कभी भी भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और इसे कभी भी 'अश्लील' नहीं माना गया था, विशेष रूप से जब भारतीय दंड संहिता की खंड 79 में कहा गया है कि ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे कानून द्वारा उचित ठहराया जाता है, या जो अच्छे विश्वास में तथ्य की गलती के कारण और कानून की गलती के कारण नहीं, खुद को कानून द्वारा उचित मानता है।

7. न्यायालय ने तस्वीरों को देखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निम्नलिखित निर्णय दियाः- "इसके अलावा, जब तक सबूत नहीं आता, तब तक अभियुक्त व्यक्तियों की जिम्मेदारी के बारे में कोई राय देना उचित नहीं होगा।लेकिन मुझे यह उल्लेख करना उचित लगता है कि हालांकि खंड 292 'अश्लील' शब्द को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन मेरे पूर्व निर्णय के अवशेष इस बिंदु पर एकत्र हैं और अभिलेख पर सामग्री से संतुष्ट होने के कारण, उन व्यक्तियों के दिमाग को बदनाम करने और विकृत करने में तस्वीर का हानिकारक प्रभाव है जिनके हाथों में यह आ सकता है और आगे बढ़ने के लिए अन्य पर्याप्त कारणों से भी यह न्यायालय खंड 292 आई. पी. सी. के तहत अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रसन्न था। वर्तमान में मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि मामला कार्यवाही को नहीं छोड़ने के लिए हस्तक्षेप के योग्य है जैसा कि अनुरोध किया गया था।यह कहना जल्दबाजी होगी कि अभियुक्त व्यक्ति आई. पी. सी. की खंड 79 का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

8. मजिस्ट्रेट ने ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों से खंड 251 Cr.P.C के तहत पूछताछ करने का आदेश दिया और आदेश दिया कि उन्हें खंड 292

I.P.C के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

9. अपीलकर्ताओं ने इसमें आपराधिक संदेश सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सुनील शर्मा को प्राथमिकता दी। 1994 का पुनरीक्षण सं. 1591 कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष खंड 482 Cr.P.C के तहत मामला सं. 796 -1993 , (टी. आर. सं. 35- 1994 के अनुरूप) विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, अलीपुर के समक्ष लंबित है।उच्च न्यायालय के समक्ष यह बताया गया कि मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य की ठीक से

सराहना नहीं की थी कि भारत में जर्मन खेल पत्रिका 'स्टर्न' के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं था।नतीजतन, किसी भी तस्वीर का पुनरुत्पादन खंड 79 आई. पी. सी. में निहित सामान्य अपवाद के भीतर आएगा। सहायक संपादक, स्पोर्ट्स वर्ल्ड द्वारा कलेक्टर, कलकत्ता सीमा शुल्क को संबोधित 20 जुलाई, 1993 के पत्र का भी संदर्भ दिया गया था और डिप्टी कलेक्टर, कलकत्ता सीमा शुल्क द्वारा सहायक संपादक, स्पोर्ट्स वर्ल्ड को भेजे गए पत्र की एक प्रति।तस्वीर का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया कि तस्वीर केवल बोरिस बेकर के साथ-साथ उनकी मंगेतर द्वारा 'रंगभेद' के खिलाफ दर्ज किए गए विरोध को दर्शाती है और उन तथ्यों को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ठीक से सराहा नहीं गया था।इसके अलावा, यह भी बताया गया कि अपमानजनक तस्वीर को अश्लील नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नग्नता अपने आप में अश्लील नहीं थी और तस्वीर न तो किसी भी तरह से सूचक थी और न ही उत्तेजक थी और इसका युवाओं या आम जनता के दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।इसके अलावा, यह भी बताया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट को बिना सोचे समझे सम्मन देना नहीं करना चाहिए था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन सभी दलीलों की सराहना नहीं की और खंड 483 Cr.P.C के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ इस अपील को प्राथमिकता दी गई है।

10. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता श्री प्रदीप घोष ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन प्रकाशन के साथ-साथ ली गई तस्वीर को, समग्र रूप से और तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, खंड 291 (1) आई. पी. सी. के अर्थ के भीतर "अश्लील" नहीं कहा जा सकता है ताकि खंड 292 (1) आई. पी. सी. के तहत कथित अपराध के संबंध में अपीलार्थियों के मुकदमे को फिर से चलाया जा सके। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अश्लीलता को समकालीन सामाजिक रूढ़ियों, समुदाय के वर्तमान

सामाजिक-नैतिक रवैये और मुद्दे के मामलों के संबंध में समुदाय की स्वीकार्यता/संवेदनशीलता के प्रचलित मानदंडों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए।

यह तर्क, इसके समर्थन में रंजीत डी. उदेशी बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर निर्भर था।

महाराष्ट्र सरकार, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 881.संदर्भ भी था

चंद्रकांत में इस न्यायालय के फैसले के लिए किया गया

कल्याणदास काकोदर बनाम महाराष्ट्र राज्य, **1969 (2)**

एससीसी 687। उनके तर्क के समर्थन में कुछ अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि विद्वान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उस संदर्भ की पूरी तरह से अनदेखी की है जिसमें तस्वीर प्रकाशित की गई थी और जो संदेश उसने बड़े पैमाने पर जनता को दिया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि तस्वीर किसी भी तरह से अश्लील या कामुक नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने खंड 79 आई. पी. सी. के दायरे की उचित रूप से सराहना नहीं की है और अपीलकर्ता जर्मन पत्रिका से ली गई तस्वीर और लेख को प्रकाशित करने में कानूनी रूप से उचित हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि इस तरह के प्रकाशन को राज्य के अधिकारियों द्वारा भी कभी भी अश्लील नहीं पाया गया था और अपीलार्थियों के खिलाफ कभी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी और इस तरह की प्रकृति की निजी शिकायत पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्यों के साथ-साथ कानून की सराहना किए बिना विचार नहीं किया जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय को खंड 482 Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था।

11. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित पॉल ने प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया कि अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि के बारे में राय देना उचित नहीं होगा जब तक कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और सबूत पेश नहीं किए जाते। विद्वान वकील ने बताया कि यह प्रश्न कि क्या तस्वीर का प्रकाशन उचित है या नहीं और सद्भावना से किया गया था, अपीलार्थियों

द्वारा साबित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सद्भावना और सार्वजनिक भलाई तथ्य के प्रश्न हैं और साक्ष्य के लिए मामले हैं। विद्वान वकील ने बताया कि विद्वान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द नहीं करने और अपीलार्थियों को मुकदमे का सामना करने का आदेश देने में न्यायसंगत था।

अनिवार्यता और सामुदायिक मानकों की परीक्षा

12. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने वर्ष 1965 में मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सुनील शर्मा मामले मेंरंजीत डी. उदेशी (ऊपर) ने संकेत दिया कि अश्लीलता की अवधारणा समय के साथ बदल जाएगी और जो एक समय पर "अश्लील" हो सकती थी, उसे बाद की अवधि में अश्लील नहीं माना जाएगा। निर्णय अश्लीलता की धारणाको बदलने के कई उदाहरणों को संदर्भित करता है और अंततः न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

"..... दुनिया, अब पहले की तुलना में बहुत अधिक सहन करने में समर्थ है, विभिन्न प्रकार के साहित्य से अभद्र हो रही है। रवैया अभी तय नहीं हुआ है "।

यह बात इस न्यायालय ने वर्ष 1965 में कही थी।

13. पुनः वर्ष 1969 में, चंद्रकांत कल्याणदास काकोदर (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को इस प्रकार दोहरायाः-

"भारत में समकालीन समाज के मानक भी तेजी से बदल रहे हैं।

14. उपर्युक्त सिद्धांत को दोहराया गया है

समरेश बोस बनाम अमल मित्रा, (1985) 4 एस. सी. सी. 289

समकालीन सामाजिक मूल्यों और सामान्य पाठक के सामान्य दृष्टिकोण पर जोर देना। 2010 में फिर से, समकालीन सामुदायिक मानकों और सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत है

एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल, **2010 (2)** आर. सी. आर. (आपराधिक) **793** में दोहराया गया है:**2010(3)** हाल के शीर्ष निर्णय (आर. ए. जे.) **90:(2010)5** एससीसी **600**।

15. इस न्यायालय ने रंजीत डी. उदेशी (उपरोक्त) मामले में न्यायालयों द्वारा यह निर्णय

लेने के लिए किए जाने वाले नाजुक कार्य पर प्रकाश डाला कि क्या शब्द, चित्र, चित्रकला आदि संहिता की खंड 292 के तहत अश्लीलता की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"दंड संहिता अश्लील शब्द को परिभाषित नहीं करती है और जो कलात्मक है और जो अश्लील है, उसके बीच अंतर करने के इस नाजुक कार्य को अदालतों द्वारा और अंतिम उपाय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है। परीक्षण स्पष्ट रूप से एक सामान्य चरित्र का होना चाहिए, लेकिन इसे एक मामले से दूसरे मामले में एक न्यायपूर्ण आवेदन को स्वीकार करना चाहिए, जिसमें सीमांकन की एक रेखा का संकेत दिया जाना चाहिए जो आवश्यक रूप से तेज नहीं है, लेकिन जो अश्लील है और जो नहीं है, उसके बीच अंतर करने के लिए

पर्याप्त रूप से अलग है। अब तक किसी ने भी अश्लीलता की परिभाषा का प्रयास नहीं किया है क्योंकि यह वर्णन करते हुए कि क्या खोजना चाहिए व इसका प्रयास किए बिना इसका अर्थ स्पष्ट नहीकिया जा सकता है।

हालाँकि, यह तुरंत कहा जा सकता है कि कला और साहित्य में यौन और नग्नता के साथ व्यवहार को कुछ और के बिना अश्लीलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अश्लीलता की परीक्षा हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ होनी चाहिए।

यह अदालत को सबसे दूरगामी चरित्र के संवैधानिक मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचने के लिए आमंत्रित करता है और यह सावधान रहना चाहिए कि वह गारंटीकृत स्वतंत्रता से बहुत दूर न जाए।

16. उपरोक्त परीक्षण को "लेडी चैटरलीज़ लवर" पुस्तक पर लागू करते हुए, रंजीत डी. उदेशी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि यौन संबंध के साथ अलग से देखे जाने वाले विवादित भागों और पूरी पुस्तक की स्थापना में हमारे सामुदायिक मानकों से न्याय की जाने वाली अनुमेय सीमाओं को पार कर गया है और जनता के लिए कोई सामाजिक लाभ नहीं है जो कहा जा सकता है कि पुस्तक को अश्लीलता की परीक्षा को संतुष्ट करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए।

17. उपन्यास "लेडी चैटरलीज लवर", जिसकी इस न्यायालय द्वारा अश्लील के रूप में

निंदा की गई थी, को केंद्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा इंग्लैंड में अश्लील नहीं माना गया था।इंग्लैंड में अश्लीलता का सवाल जूरी पर छोड़ दिया जाता है।बायर्न, जे., विद्वान न्यायाधीश जिन्होंने केंद्रीय आपराधिक की अध्यक्षता की.

आर. वी. में न्यायालय पेंगुइन बुक्स लिमिटेड, (1961 क्रिमिनल लॉ) कानून समीक्षा **176)** निम्नलिखित रूप में देखी गईः-

"संक्षेप में उनकी प्रभुता ने जूरी को निर्देश दिया किःउन्हें समग्र रूप से पुस्तक पर विचार करना चाहिए, यहाँ और वहाँ अंशों का चयन नहीं करना चाहिए और अपने पैरों को जमीन पर रखते हुए, स्वाद या सेंसर के कार्यों के प्रश्नों का अभ्यास नहीं करना चाहिए।प्रकाशन के बाद पहला प्रश्न थाःक्या किताब अश्लील थी?क्या इसका प्रभाव समग्र रूप से भ्रष्ट और भ्रष्ट व्यक्तियों को लुभाने के लिए लिया गया था, जो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते

हुए इसे पढ़ सकते थे?भ्रष्ट करने का अर्थ है नैतिक रूप से बुरा बनाना, विकृत करना, नैतिक रूप से नीचा दिखाना या भ्रष्ट करना।भ्रष्ट करने का अर्थ नैतिक रूप से अस्वस्थ या सड़ा हुआ बनाना, नैतिक शुद्धता या पवित्रता को नष्ट करना, किसी अच्छे गुण को विकृत या नष्ट करना, नीचा दिखाना, अशुद्ध करना है।भ्रष्ट या भ्रष्ट करने का कोई इरादा आवश्यक नहीं था।केवल यह तथ्य कि जूरी पुस्तक से हैरान और निराश हो सकती है, इस प्रश्न का समाधान नहीं करेगा। लेखकों को संदेश सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सुनील शर्मा को व्यक्त करने का अधिकार था.स्वयं लेकिन मजबूत विचारों वाले लोग अभी भी समुदाय के सदस्य थे और दूसरों के लिए एक दायित्व के तहत थे कि वे उन्हें नैतिक, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान न पहुंचाएं।दुनिया के पुरुषों और महिलाओं के रूप में निर्णायक मंडल को खुद से पूछना चाहिए कि क्या पुस्तक की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की थी जो इसे पढ़ने की संभावना रखते थे, न केवल वे जो किसी शैक्षणिक संस्थान के दुर्लभ वातावरण में मार्गदर्शन में पढ़ रहे थे, बल्कि वे भी जो तीन शिलिंग और छह पेंस में पुस्तक खरीद सकते थे या सार्वजनिक पुस्तकालय से इसे प्राप्त कर सकते थे, संभवतः लॉरेंस के बिना और साहित्य के कम ज्ञान के साथ।यदि जूरी को उचित संदेह से परे संतुष्ट किया गया था कि पुस्तक अश्लील थी, तो उन्हें विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा या सामान्य चिंता के अन्य विषयों के हित में सार्वजनिक भलाई के लिए इसके उचित होने के सवाल पर विचार करना चाहिए।साहित्यिक गुण पुस्तक को बचाने

के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसे सार्वजनिक भलाई के लिए उचित ठहराया जाना चाहिए। इस पुस्तक को अन्य पुस्तकों की तुलना में नहीं आंका जाना चाहिए था। यदि यह अश्लील था तो यदि प्रतिवादी ने इस संभावना को स्थापित किया है कि एक उपन्यास के रूप में पुस्तक के गुण इतने अधिक थे कि उन्होंने अश्लीलता को संतुलित कर दिया ताकि प्रकाशन सार्वजनिक भलाई हो, तो जूरी को बरी कर देना चाहिए।

18. बाद में, समरेश बोस (ऊपर) में इस न्यायालय ने समरेश बोस द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास "प्रजापति" का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"35..... हम इस पुस्तक को पढ़ने से संतुष्ट नहीं हैं कि इसे अश्लील माना जा सकता है। चुंबन, शरीर का वर्णन और पुस्तक में महिला पात्रों की आकृतियों का उल्लेख और स्वयं द्वारा यौन क्रियाओं के सुझावों का किसी भी उम्र के पाठकों को कामुकता के प्रति अपमानजनक, अपमानजनक और प्रोत्साहित करने का प्रभाव नहीं हो सकता है और इन मामलों पर उपन्यास को अश्लील नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि पुस्तक में अपशब्दों

और विभिन्न अपरंपरागत शब्दों का उपयोग किया गया है। हालाँकि यौन संबंध के किसी भी स्पष्ट कार्य का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यौन कृत्यों के सुझाव हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन में यौन संबंध के पहलू पर बहुत अधिक जोर उपन्यास में पाया जाता है। उपयोग की गई भाषा के कारण, उपन्यास में वर्णित यौन जीवन के संबंध में प्रसंग अश्लील दिखाई देते हैं और घृणा और घृणा की भावना पैदा कर सकते हैं। केवल यह तथ्य कि सेक्स पर जोर देने वाले विभिन्न मामलों और प्रकरणों को अशिष्ट और अश्लील भाषा में सुनाया गया है, एक पाठक को चौंका सकता है जो पुस्तक से घृणा महसूस कर सकता है, अश्लीलता के सवाल का समाधान नहीं करता है।

हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यह वर्ष 1985 में समकालीन मानक था।

19. हम इस मामले में वर्ष 1994 की स्थिति से चिंतित हैं, लेकिन हम 2014 में हैं और यह निर्णय करते हुए कि क्या कोई विशेष तस्वीर, कोई लेख या पुस्तक अश्लील है, समकालीन रूढ़ियों और राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि संवेदनशील या संवेदनशील व्यक्तियों के समूह के मानकों को।

हिक्लिन परीक्षण:

20. यूनाइटेड किंगडम में, बहुत पहले 1868 में, न्यायालय ने

रेगिना बनाम हिक्लिन (1868 एल. आर.) में हिक्लिन परीक्षण किया गया।

2 क्यू. बी**. 360),** और निम्नानुसार आयोजित किया गया:-

"अश्लीलता की परीक्षा यह है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करना है जिनके दिमाग इस तरह के अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में इस तरह का प्रकाशन गिर सकता है।

21. हिक्लिन परीक्षण ने माना कि एक प्रकाशन को संदर्भ से बाहर माने गए काम के अलग-अलग अंशों के आधार पर अश्लीलता के लिए आंका जाना चाहिए और बच्चों या कमजोर दिमाग वाले वयस्कों जैसे सबसे अतिसंवेदनशील पाठकों पर उनके स्पष्ट प्रभाव से आंका जाना चाहिए।हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक उल्लेखनीय प्रस्थान किया।हाल ही में, यह महसूस किया गया कि हिक्लिन परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए लागू करने के लिए सही परीक्षण नहीं है कि अश्लीलता क्या है। रोथ वी**.**संयुक्त राज्य अमेरिका**, 354**

यू**.** एस**. 476 (1957),** सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में अश्लीलता के मुद्दे से सीधे निपटा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अश्लीलता" की अस्वीकृति प्रथम संशोधन में निहित थी।यह देखते हुए कि सेक्स और अश्लीलता को एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जाता है, अदालत ने कहा कि केवल वे सेक्स से संबंधित सामग्री जिनमें "उत्तेजक कामुक विचारों" की प्रवृत्ति थी, अश्लील पाई गई और इसका निर्णय मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सुनील शर्मा के बिंदु से किया जाना चाहिए। समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करके एक औसत व्यक्ति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

22. कनाडा में भी, ब्रॉडी बनाम द क्वीन (1962 एससीआर 681) में बहुमत ने माना कि डी. एच. लॉरेंस का उपन्यास "लेडी चैटरलीज़ लवर" कनाडाई आपराधिक संहिता के अर्थ के भीतर अश्लील नहीं था।

23. रेजिना बनाम बटलर, (1992) 1 एस. सी. आर. 452 में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रमुख परीक्षण "सामुदायिक मानक समस्याओं का परीक्षण" है। अदालत ने माना कि स्पष्ट यौन संबंध जो हिंसक नहीं है और न ही अपमानजनक है और न ही अमानवीय है, आम तौर पर कनाडाई समाज में बर्दाश्त किया जाता है और यौन संबंध के अनुचित शोषण के रूप में तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि यह अपने उत्पादन में बच्चों को नियुक्त नहीं करता है।अदालत ने कहा कि काम या सामग्री को 'अश्लील' के रूप में अर्हता प्राप्त आदेश के लिए, यौन शोषण न केवल एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, बल्कि इस तरह का शोषण 'अनुचित' होना चाहिए।इससे पहले टाउन सिनेमा थिएटर्स लिमिटेड बनाम.द क्वीन, (1985) 1 एस. सी. आर. 494, कनाडाई न्यायालय ने सामुदायिक मानक परीक्षण लागू किया न कि हिक्लिन परीक्षण।

सामुदायिक मानक परीक्षण:

24. हमारा यह भी विचार है कि हिक्लिन परीक्षण "अश्लीलता क्या है" यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाने वाला सही परीक्षण नहीं है।भारतीय दंड संहिता की खंड 292, निश्चित रूप से, 'कामुक और प्रचलित हित' या इसके प्रभाव अभिव्यक्ति का उपयोग करती है।बाद में, उक्त खंड में यह भी संकेत दिया गया है कि प्रभाव की प्रयोज्यता और वस्तुओं को समग्र रूप से लेने की आवश्यकता और उस आधार पर जहां ऐसी वस्तुएं भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हैं और ऐसे व्यक्ति जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में

रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।इसलिए, हमें यह निर्धारित करने के लिए "हिक्लिन परीक्षण" के बजाय "सामुदायिक मानक परीक्षण" को लागू करना होगा कि "अश्लीलता" क्या है।खंड 292 की उप-खंड (1) को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक तस्वीर या लेख को अश्लील माना जाएगा (i) यदि वह कामुक है; (ii) यह प्रचलित हित को आकर्षित करता है, और (iii) यह उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है जो कथित रूप से अश्लील होने के मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।एक बार जब मामला अश्लील पाया जाता है, तो सवाल उठ सकता है कि क्या विवादित मामला खंड में निहित किसी भी अपवाद के भीतर आता है।नग्न/अर्ध- नग्न महिला की एक तस्वीरको अपने आप में अश्लील नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसमें भावना को जगाने या स्पष्ट यौन इच्छा को प्रकट

करने की प्रवृत्ति न हो। चित्र को अपमानजनक दिमाग का संकेत देना चाहिए और उन व्यक्तियों में यौन जुनून को उत्तेजित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो इसे देखने की संभावना रखते हैं, जो उस विशेष मुद्रा और पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा जिसमें नग्न/अर्ध-नग्न महिला को चित्रित किया गया है। केवल उन यौन-संबंधी सामग्रियों को, जिनमें "उत्तेजक कामुक विचारों" की प्रवृत्ति होती है, अश्लील माना जा सकता है, लेकिन अश्लीलता को एक औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से, समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करके आंका जाना चाहिए।

संदेश और पाठ

25. हमें अश्लीलता के सवाल की जांच उस संदर्भ में करनी होगी जिसमें तस्वीर दिखाई देती है और उसका संदेश भी।

बताना चाहता है।बॉबी आर्ट इंटरनेशनल एंड अन्य. वी.ओम पाल सिंह हून, (1996) 4 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय के दौरान'बैंडिट क्वीन' नामक फिल्म के संदर्भ में अश्लीलता के सवाल से निपटने के लिए कहा गया है कि फिल्म में तथाकथित आपत्तिजनक दृश्यों पर इस संदेश के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि फिल्म एक असहाय महिला बच्चे के खिलाफ यातना और हिंसा के सामाजिक खतरे के संबंध में प्रसारित करने की कोशिश कर रही थी, जिसने उसे एक भयानक डकैत में बदल दिया। न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किएः- "सबसे पहले, वह दृश्य जहां उसे अपमानित किया जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है, परेड किया जाता है, एक सौ पुरुषों के घेरे के भीतर कुएं से पानी निकालने के लिए बनाया जाता है। उसके स्तनों और जननांगों को उन पुरुषों के

संपर्क में लाने का इरादा उन लोगों का है जो उसे नीचा दिखाने के लिए उसके कपड़े उतारते हैं। उस पर ऐसा करने का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृश्य दिखाने से बेहतर शायद ही व्यक्त किया जा सकता था। ऐसा करने का उद्देश्य सिनेमा देखने वाले की वासना को धूमिल करना नहीं था, बल्कि पीड़ित के प्रति सहानुभूति और अपराधियों के प्रति घृणा जगाना था। न्यायाधिकरण ने जिस तिरस्कार का उल्लेख किया, वह फूलन देवी की नग्नता पर नहीं था, बल्कि उन लोगों की क्रूरता और हृदयहीनता पर था जिन्होंने उसकी गरिमा के हर टुकड़े को छीनने के लिए उसे निर्वस्त्र कर दिया था। नग्नता हमेशा मूल प्रवृत्ति को नहीं जगाती है। न्यायाधिकरण द्वारा फिल्म "शिंडलर्स लिस्ट" का संदर्भ उपयुक्त था। इसमें नग्न पुरुषों

और महिलाओं की पंक्तियों का एक दृश्य है, जिसे सामने दिखाया गया है, जिसे नाजी यातना शिविर के गैस कक्षों में ले जाया जा रहा है. वे मर जाते हैं लेकिन उनके अंतिम क्षणों में मनुष्यों की बुनियादी गरिमा छीन ली गई है।आँसू एक संभावित प्रतिक्रिया है; दया, भय और सह-शर्म की भावना निश्चित है, सिवाय उस विकृत व्यक्ति के जो उत्तेजित हो सकता है।हम विकृत की रक्षा करने या अति-संवेदनशील की संवेदनशीलता को शांत करने के लिए सेंसर नहीं करते हैं।"'बैंडिट क्वीन' एक शक्तिशाली मानव कहानी बताती है और उस कहानी के केंद्र में फूलन देवी की नग्न परेड का दृश्य है।यह समझाने में मदद करता है कि फूलन देवी ने जो किया वह क्यों बन गईःउस समाज के खिलाफ उसका गुस्सा और प्रतिशोध जिसने उस पर अपमान किया था।

26. अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ 2007 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 633:2007(1) एस. सी. टी 554:2007(1) हाल के शीर्ष निर्णय (आर. ए. जे.) 767: (2007)1 एस. सी. सी 143, जबकि आई. पी. सी. की खंड 292 और महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की खंड 3,4 और 6 के दायरे की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की मांग है कि इसे तब तक दबाया नहीं जा सकता जब तक कि स्वतंत्रता की अनुमति देने वाली परिस्थितियां दबाव नहीं डालती हैं और सामुदायिक हित खतरे में नहीं हैं।

27. हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या बोरिस बेकर की अपनी मंगेतर बारबरा फुल्टस के साथ एक काली चमड़ी वाली महिला की तस्वीर, जो एक-दूसरे के पास नंगे शरीर में खड़ी है, लेकिन अपनी मंगेतर के स्तन को अपने हाथों से ढकती है, को इस मायने में आपत्तिजनक कहा जा सकता है कि यह खंड 292 आई. पी. सी. का उल्लंघन करती है। सामुदायिक सहिष्णुता परीक्षण को लागू करते हुए, हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि

ऐसी तस्वीर अपमानजनक दिमाग का संकेत है और उन व्यक्तियों में यौन जुनून को उत्तेजित करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो उन्हें देखने और देखने की संभावना रखते हैं, जो उस विशेष मुद्रा और पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा जिसमें महिला को चित्रित या दिखाया गया है। बारबरा फुल्टस का स्तन पूरी तरह से बोरिस बेकर की बांह से ढका हुआ है, एक तस्वीर, निश्चित रूप से, अर्ध-नग्न है, लेकिन बारबरा के पिता द्वारा ली गई है।इसके अलावा, हमारे विचार में, तस्वीर में उन लोगों के दिमाग को खराब करने या भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं है जिनके हाथों में पत्रिका स्पोर्ट्स वर्ल्ड या आनंदबाजार पत्रिका गिर जाएगी।

28. हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि उक्त तस्वीर को उस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जिसमें इसे दिखाया गया था, और इसे जनता और बड़े पैमाने पर दुनिया को संदेश देना है। पत्रिका की कवर स्टोरी का शीर्षक है, जिसमें नग्न पोज देना, उत्पीड़न को छोड़ना, जर्मनी में नस्लवाद से लड़ना शामिल है।बोरिस बेकर स्वयं जर्मन पत्रिका में प्रकाशित लेख में जर्मनी में प्रचलित नस्लीय भेदभाव की बात करते हैं और लेख में जर्मनी में नस्लवाद के खिलाफ बोरिस बेकर के विरोध पर प्रकाश डाला गया है।जैसा कि उक्त लेख में उद्धृत किया गया है, बोरिस बेकर स्वयं इसे रखते हैंः

"नग्न तस्वीरें हैरान करने वाली थीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन तस्वीरों के साथ मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि एक अंतर-नस्लीय संबंध ठीक है। "

29. तस्वीर जिस संदेश को देना चाहती है, वह यह है कि त्वचा का रंग बहुत कम मायने रखता है और रंग से अधिक प्यार चैंपियन है।चित्र एक सफेद चमड़ी वाले पुरुष और एक काली चमड़ी वाली महिला के बीच प्रेम संबंध को बढ़ावा देता है, जिससे विवाह होता है।

30. इसलिए, हमें उस तस्वीर और लेख की सराहना करनी चाहिए जो समाज में नस्लवाद और रंगभेद की बुराई को खत्म करने और सफेद चमड़ी वाले पुरुष और काली चमड़ी वाली महिला के बीच प्रेम और विवाह को बढ़ावा देने के लिए संदेश देना चाहता है।

जब उस कोण से देखा जाए तो हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड और आनंदबाजार पत्रिका द्वारा पुनः प्रस्तुत की गई तस्वीर या लेख को आपत्तिजनक कहा जाए ताकि आई. पी. सी. की खंड 292 या महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की खंड 4 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सके।

31. हमने पाया है कि आई. पी. सी. की खंड 292 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया

है और फिर यह सवाल कि क्या यह आई. पी. सी. की खंड 79 के पहले भाग में आता है, विद्या सम्बन्धी हो गया है।हमें इस ध्यान दें पर खेद है कि विद्वत मजिस्ट्रेट ने बिना किसी विवेक के या उस पृष्ठभूमि की सराहना किए जिसमें तस्वीर दिखाई गई है, अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव रखा।विद्वान मजिस्ट्रेट को न्यायिक पूर्व निर्णय के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था, जिसकी स्थिति में उन्होंने अपीलार्थियों को मुकदमे का सामना करने का आदेश नहीं दिया होता।हमारे विचार में, उच्च न्यायाधीशालय को न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए खंड 482

Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था।

32. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करने और अपीलार्थियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं। अपील की अनुमति ऊपर दी गई है।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय समरेश बोस बनाम अमल मित्र 2 के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अश्लीलता के सवाल का फैसला करने के लिए कुछ दिशानिर्देश दिए हैं। उक्त निर्णय के कार्यात्मक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"28. इंग्लैंड में, जैसा कि हमने पहले देखा है, अश्लीलता के प्रश्न पर निर्णय जूरी के पास रहता है जो विद्वान न्यायाधीश द्वारा ऐसी कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों के सारांश के आधार पर यह तय करता है कि कोई विशेष उपन्यास, कहानी या लेखन अश्लील है या नहीं। हालाँकि, भारत में निर्णय की जिम्मेदारी दृढ़ता से न्यायालय पर निर्भर करती है। जैसा कि इस न्यायालय के दोनों निर्णयों में पहले उल्लेख किया गया है, "यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष लेख या कहानी या पुस्तक अश्लील है या नहीं, पूरी तरह से मौखिक साक्ष्य पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या पुस्तक या कहानी या उसमें कोई मार्ग या अंश भारतीय दंड संहिता की खंड 292 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय का निर्णय अनिवार्य रूप से समग्र रूप से पुस्तक या कहानी या लेख के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर और पुस्तक, कहानी या लेख में शिकायत किए गए अंशों के विशेष संदर्भ के साथ होना चाहिए। अदालत को उस मामले के बारे में समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसकी शिकायत पूरे कार्य की स्थापना में अश्लील के रूप में की गई है, लेकिन अश्लील के रूप में आरोपित मामले पर भी स्वयं और अलग से विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह इतना स्थूल है और इसकी अश्लीलता इतनी स्पष्ट है कि यह उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की संभावना

है जिनके दिमाग इस तरह के प्रभाव के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में पुस्तक गिरने की संभावना है। हालाँकि न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए.

2 1986(1) आर. सी. आर. (क्रिमिनल लॉ) 210

वस्तुनिष्ठ रूप से खुले दिमाग से, फिर भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के मामले में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के व्यक्तिपरक रवैये से प्रभावित होने की संभावना है, भले

ही अनजाने में, उसका मन और प्रश्न पर उसका निर्णय।एक शुद्ध और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण वाला न्यायाधीश किसी भी पुस्तक या कहानी या लेख के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर उसे अश्लील मान सकता है।यह संभव है कि एक अलग तरह के दृष्टिकोण वाला कोई अन्य न्यायाधीश उसी पुस्तक के अपने वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर उसी पुस्तक को अश्लील न माने।अश्लीलता की अवधारणा को उन लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत हद तक ढाला जाता है जिनसे आम तौर पर पुस्तक पढ़ने की उम्मीद की जाती है।यह विवाद से परे है कि अश्लीलता की अवधारणा आमतौर पर विभिन्न देशों में समकालीन समाज की नैतिकता के मानकों के आधार पर देश-दर-देश भिन्न होती है।हमारी राय में, अश्लीलता के प्रश्न का न्याय करने में, न्यायाधीश को सबसे पहले खुद को लेखक के पद पर रखने का प्रयास करना चाहिए और लेखक के दृष्टिकोण से न्यायाधीश को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लेखक क्या व्यक्त करना चाहता है और लेखक क्या व्यक्त करता है, इसका कोई साहित्यिक और कलात्मक मूल्य है।इसके बाद न्यायाधीश को खुद को हर आयु वर्ग के एक पाठक के पद पर रखना चाहिए जिसके हाथों में पुस्तक के गिरने की संभावना है और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पाठकों के दिमाग में पुस्तक का किस तरह का संभावित प्रभाव होने की संभावना है।इसके बाद एक न्यायाधीश को यह तय करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग को निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए कि क्या विचाराधीन पुस्तक को भारतीय दंड संहिता की खंड 292 के अर्थ के भीतर समग्र रूप से पुस्तक के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन द्वारा और अश्लील के रूप में शिकायत किए गए अंशों को भी अश्लील कहा जा सकता है।उपयुक्त मामलों में, न्यायालय, किसी भी व्यक्तिपरक तत्व या व्यक्तिगत वरीयता को समाप्त करने के लिए, जो अवचेतन मन में छिपा रह सकता है और अनजाने में एक उचित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है, अभिलेख पर साक्ष्य का उपयोग कर सकता है और ऐसे प्रश्नों पर साहित्य के प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर भी विचार कर सकता है, यदि उनके स्वयं के विचार और संतुष्टि के लिए कोई है जो न्यायालय को उचित मूल्यांकन करने के कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम बनाता है।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सुनील शर्मा द्वारा पारित फैसले पर भी भरोसा किया है।

"अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुखर निंबालकर और

दूसरा, "2017 (1) आर. सी. आर. (आपराधिक) 405 में प्रस्तुत करने के लिए

खंड 202 Cr.P.C के तहत या तो स्वयं न्यायालय द्वारा या पुलिस द्वारा से की गई जांच की अनुपस्थिति में में, याचिकाकर्ता को बुलाने का विवादित आदेश कानून की नजर में बुरा है।

(16) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने, अंत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है

परबतभाई अहीर @परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 3, जिसमें माननीय भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दी गई परिस्थितियों में प्राथमिकी आर. को रद्द करने के लिए खंड 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।

(17) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि चूंकि शिकायतकर्ता अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है क्योंकि यह वीडियो सीडी के पायरेटेड संस्करण पर आधारित है; किसी भी स्रोत का खुलासा किए बिना जहां से इन सीडी की प्रतिलिपि बनाई गई थी; यह साबित करने के लिए किसी भी विशेषज्ञ साक्ष्य की जांच किए बिना कि सभी सीडी मूल सीडी की प्रतियां हैं; यह एनिमेटेड संस्करण होने के कारण, विवादित शिकायत के साथ-साथ समन आदेश को रद्द किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता का अभियोजन सरासर दुरुपयोग और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करना न्यायाधीश के हित में है।

(18) पार्टियों के वकील सुनने के बाद, मुझे निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिकाओं में योग्यता मिलती हैः-

(क) माननीय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में

सुप्रीम कोर्ट ने अवीक सरकार के मामले में (ऊपर), मुझे लगता है कि प्रथमदृष्टया न तो (भा.दं.सं. सी.) की खंड 292 के तहत और न ही 1986 के अधिनियम की खंड 4 और 6 के तहत अपराध बनाया गया है।शिकायत के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने गेमिंग वीडियो सीडी की प्रतिकृति देखी है अर्थात उसने किसी भी आरोपी द्वारा निर्मित या वितरित मूल वीडियो सीडी नहीं देखी है जो

सेंसर बोर्ड से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बाजार में बेची जाती है और इसलिए, शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने 1986 के अधिनियम की धारा 4 और 6 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 292,293 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

3 2017(9) एससीसी 641

(ख) यह शिकायतकर्ता का अपना मामला है कि मूल सी. डी. जिनसे प्रतिकृति सी. डी. तैयार की गई थी और निचली अदालत के समक्ष प्रदर्शित की गई थी, उन्हें कभी भी सबूत के रूप में पेश नहीं किया गया था। सी. डब्ल्यू. 1 के रूप में शिकायतकर्ता की शिकायत और बयान दोनों इस तथ्य के बारे में चुप हैं, जहां से शिकायतकर्ता ने गेमिंग वीडियो सी. डी. की प्रतिकृतियां प्राप्त की हैं और ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में में, यह नहीं माना जा सकता है कि उन्हें किसी भी आरोपी व्यक्ति द्वारा निर्मित या वितरित किया गया था।

(ग) शिकायतकर्ता इस बात का कोई सबूत देने में भी विफल रहा है कि प्रतिकृति वीडियो सीडी भी उसके द्वारा मैसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के किसी भी अधिकृत डीलर या वितरक से खरीदी गई थी क्योंकि फिर से शिकायत इस संबंध में चुप है और कोई रसीद/बिल प्रदर्शित नहीं किया गया है।

(घ) यह शिकायतकर्ता का मामला है कि वीडियो सी. डी. Exs.C1 से सी. 8 में वीडियो गेम में महिलाओं के एनिमेटेड चरित्र हैं और सी. डब्ल्यू. 1 के रूप में शिकायतकर्ता ने अपदस्थ किया कि ऐसी वीडियो सी. डी. देखने पर, उसकी व्यक्तिगत राय में इसमें अश्लीलता है, इसलिए, यह मानने के लिए किसी विशेषज्ञ की राय की अनुपस्थिति में में कि वीडियो सी. डी. में कोई अश्लीलता है, यह केवल शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत राय पर नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध किए गए हैं।

(ङ) शिकायतकर्ता सी. डब्ल्यू. 1 के बयान के अवलोकन से आगे पता चलता है कि उसने किसी भी आरोपी व्यक्ति या उसकी एजेंसियों से सी. डी. Exs.C1 की खरीद की कोई

रसीद रिकॉर्ड पर पेश नहीं की है।सभी 08 सीडी को बिना किसी खरीद की रसीद को रिकॉर्ड में पेश किए प्रदर्शित किया जाता है और इसलिए, मुझे याचिकाकर्ताओं के तर्क में बल मिलता है कि सीडी Ex.C1 से सी8 उन खेलों की डाउनलोड की गई प्रतियां हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और इन्हें कभी भी किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित, विपणन या

बेचा नहीं गया था क्योंकि Exs.C1 से सी8 मूल सीडी का प्रतिलिपि संस्करण/प्रतिकृति हैं।

(च) शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि मूल वीडियो सी. डी. भारत में किसी भी कानून द्वारा बिक्री के प्राइवेट लिमिटेड हैं क्योंकि सभी देशों में वीडियो सी. डी. या किसी अन्य प्रकाशन की सामग्री को अश्लील सामग्री घोषित करने के संबंध में अलग-अलग मानदंड/कानून हैं और एक वीडियो सी. डी. जिसे एक ऐसे देश द्वारा नेटवर्किंग साइट पर अपलोड किया जाता है जहां यह नहीं है। अश्लील मानी जाने वाली साइटों को दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा या डाउनलोड किया जा सकता है जो ऐसी साइटों तक पहुंच की अनुमति देता है।

(छ) याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा ली गई याचिका यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल उन्हीं सीडी की बिक्री और विपणन किया जाता है जो सरकार के मानदंडों के अनुसार विधिवत प्रमाणित हैं और जिन्हें सेंसर बोर्ड द्वारा यू, यूए और ए प्रमाणपत्र दिया जाता है और इसलिए, जिन सीडी को याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा की अनुपस्थिति में बेचा जाता है, उनकी सामग्री को अभियुक्त व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने के उद्देश्य से अश्लील घोषित की अनुपस्थिति में किया जा सकता है, बशर्ते कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत पेश की अनुपस्थिति में किया गया हो।

(ज) अन्यथा भी, निचली अदालत ने खंड 202 Cr.P.C के तहत उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है क्योंकि शिकायत पंजाब के पटियाला में दायर की गई है, जबकि सभी याचिकाकर्ता/आरोपी व्यक्ति नई दिल्ली, हैदराबाद और पुणे से हैं और इसलिए, निचली अदालत ने अभिजीत पवार के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है क्योंकि निचली अदालत या पुलिस द्वारा से कोई जांच नहीं की गई थी।

(i) मुकदमे द्वारा पारित विवादित आदेश का अवलोकन याचिकाकर्ताओं को समन करने वाली अदालत से यह भी पता चलता है कि निचली अदालत ने यह भी माना है कि सी8

के लिए वीडियो सीडी मूल की प्रतिकृति हैं और निचली अदालत के समक्ष मूल सीडी की अनुपस्थिति में में, इस तरह के निष्कर्ष को बरकरार रखना मुश्किल है कि निचली अदालत के समक्ष पेश की गई सीडी मूल सीडी की सही प्रतिकृति हैं।

(19) उसी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और विवादित शिकायत No. 87 दिनांक 04.06.2012 (अनुलग्नक P1) और उससे उत्पन्न होने वाली बाद की कार्यवाही के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा पारित 19.07.2012 (अनुलग्नक P3) के समन आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाता है।

पी. एस. बाजवा

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा ।

अनुवादक

गरिमा गिलानी